चिट फंड राज्य सरकार के साथ पंजीकृत होने चाहिये।

चिट फंड एक ऐसी योजना है, जिसमें एक व्यक्ति कई व्यक्तियों का समूह बनाकर नियमित अंतरालों पर निवेश द्वारा एक धनराशि तैयार करते हैं। सदस्यों को इस धनराशि में से आवश्यकतानुसार या बारी-बारी से पैसे मिलते हैं।

अधिक जानकारी के लिए **www.rbi.org.in/nbfcfaqs** देखे।

जनहित में जारी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आपका सही फैसला, सुरक्षित रखे आपका पैसा।

निवेशक जागरूकता 2

सोचा था होंगे मालामाल लालच ने किया बुरा हाल!

डपरामिड रूपी/पाँन्जी योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जिनमें आप शुरुआती धनराशि जमा करके या कोई उत्पाद/ चीज खरीदकर अन्य सदस्यों को दाखिल करने की स्वीकृति के साथ शामिल होते हैं। ज्यादा लाभ सदस्यों के दाखिले पर सीधे निर्भर करता है। ये योजनाएं अवैध और प्रति बंधित हैं।

ऐसी किसी भी योजना के झाँसे में न आयें, जो बिना ज्यादा निवेश किये कम समय में आपको ज्यादा लाभ देने का वादा करती हैं।

अधिक जानकारी के लिए **www.rbi.org.in/nbfcfaqs** देखे।

जनहित में जारी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आपका सही फैसला, सुरक्षित रखे आपका पैसा।

निवेशक जागरूकता 3

निवेश से पहले करो विचार एक नहीं, दो-दो बार!

नान बैकिंग फाइनेशियल कंपनी, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) में निवेश करने से पहले, निम्नलिखित चीजें सुनिश्चित करें :

- ☑ क्या एनबीएफसी आरबीआई के साथ पंजीकृत है ?
- ☑ क्या पंजीकृत एनबीएफसी धनराशि स्वीकार करने के लिये अधिकृत है ?

सिर्फ कुछ ही एनबीएफसी धनराशि स्वीकार करने के लिये अधिकृत हैं ।www.rbi.org.in/perittednbfcs पर इनकी सूची देखें।

अधिक जानकारी के लिए **www.rbi.org.in/nbfcfaqs** देखे।

जनहित में जारी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आपका सही फैसला, सुरक्षित रखे आपका पैसा।

निवेशक जागरूकता 4

सस्ते ऋण के झमेले में मत पड़ो सोच समझ कर आगे बढ़ो

किसी भी कमर्शियल बैक के मुकाबले काफी कम ब्याजदर पर लोन देने/उपलब्ध कराने का वादा करने वाली वित्तीय फाइनेंशियल कंपनियों से सावधान रहें। ये कंपनियाँ प्रोसेसिंग शुल्क लेकर गायब हो सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए **www.rbi.org.in/nbfcfaqs** देखे।

जनहित में जारी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आपका सही फैसला, सुरक्षित रखे आपका पैसा।

यदि कोई कंपनी/संस्था/व्यक्ति आपके निवेश पर बहुत ज्यादा लाभ का वादा करती है, तो काफी हद तक संभव है कि आपको आपका मूल धन भी वापस ना मिले।

निवेश करने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि ये संस्थाएं/कंपनियाँ आरबीआई, सेबी, एनएचबी जैसी वित्तीय रेग्युलेटर या राज्य सरकार के साथ पंजीकृत हो।

सिर्फ कुछ चुनिंदा सीमित कंपनियों को ही पब्लिक डिपॉजिट लेने की अनुमति प्राप्त है।

एमसीए के सख्त नियमों के तहत निगमित कंपनियों को भी सीमित जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति है।

अधिक जानकारी के लिए **www.rbi.org.in/nbfcfaqs** देखे।

जनहित में जारी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आपका सही फैसला, सुरक्षित रखे आपका पैसा।

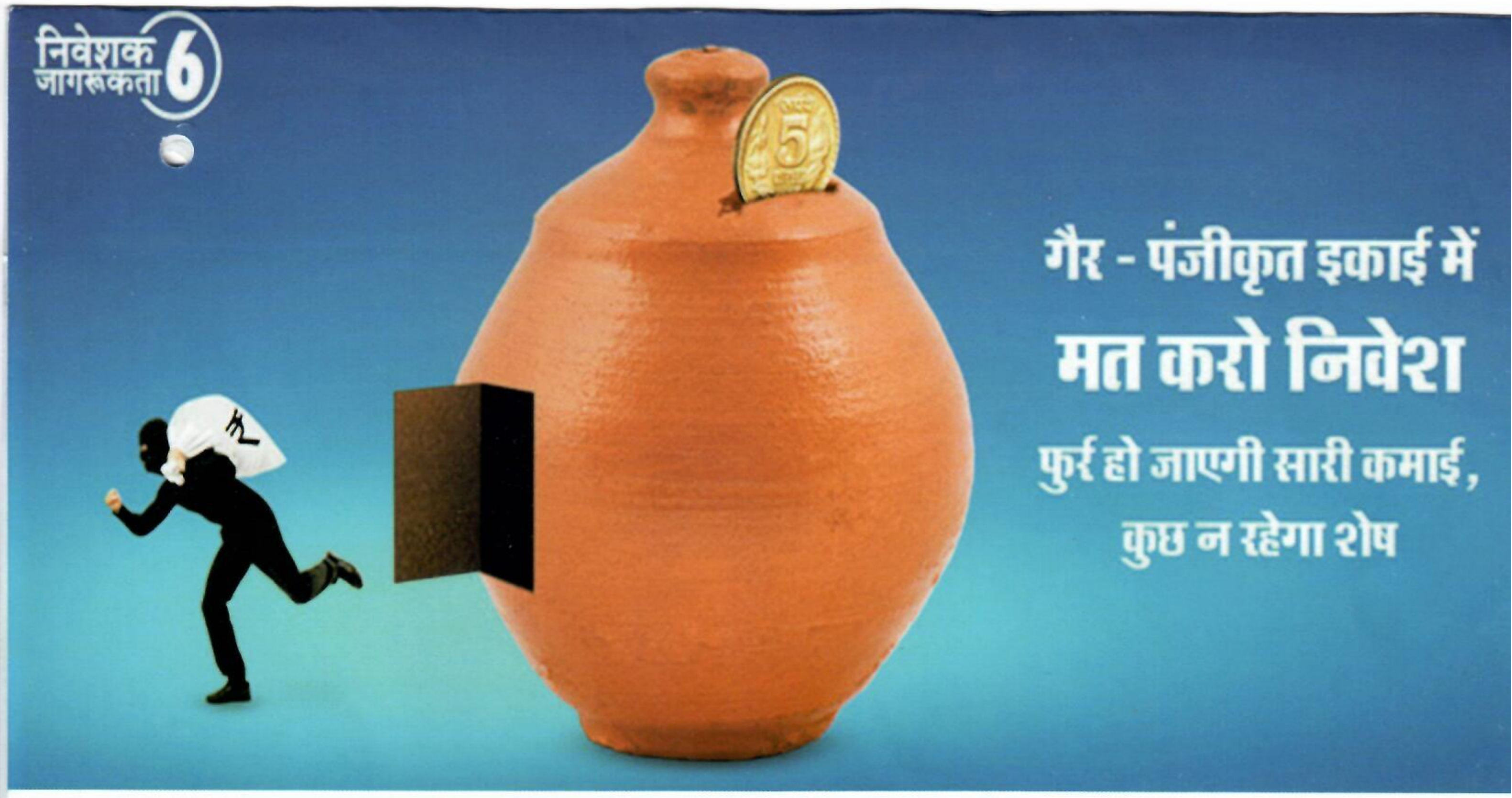

किसी भी अनियंत्रित/अपंजीकृत संस्था के साथ अपनी मेहनत की कमाई निवेश न करें। डिपॉजिट लेने वाली कंपनी आरबीआई, सेबी, एनएचबी या राज्य सरकार जैसे किसी वित्तीय संस्थाओं के साथ पंजीकृत होनी चाहिये।

* सिर्फ कुछ चुनिंदा रेगुलेटेड निगमित कंपनियों को ही पब्लिक डिपॉजिट लेने की अनुगति होती है।

अधिक जानकारी के लिए **www.rbi.org.in/nbfcfaqs** देखे।

जनहित में जारी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आपका सही फैसला, सुरक्षित रखे आपका पैसा।